## शहडोल कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर विवाद, जमकर हुई मारपीट

**शहडोल, देशबन्धु।** शहडोल कलेक्ट्रेट परिसर में एक जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हुए पारिवारिक विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट और गाली-गलौज साफ दिखाई दे रही है। यह घटना कलेक्ट्रेट परिसर के उप-पंजीयक कार्यालय के सामने हुई। वीडियो में कई महिलाएं और पुरुष एक परिवार के सदस्य को घसीटते हुए बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत सोहागपुर जनपद के एक गांव में जमीन की बिक्री को लेकर हुई, जब परिवार के कुछ सदस्य रजिस्ट्री कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान, एक सदस्य को बिक्री प्रक्रिया पर आपत्ति थी, जिससे विवाद शुरू हो गया। लोगों के अनुसार, स्थिति जल्द ही बिगड़ गई और एक झड़प में तब्दील हो गई। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोग घटनास्थल पर इकट्ठा होकर इस झगड़े को देखने लगे।

### पारिवारिक विवाद बढ़ा, जब एक शख्स ने कहा कम पैसों में रजिस्ट्री नहीं होने देगा

कलेक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। एक दुकानदार ने बताया, कि कुछ देर के लिए स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। सभी लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें अलग करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह केवल ज़मीन का विवाद नहीं था, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच पुरानी रंजिश का परिणाम था।

इस विवाद से जुड़े हुए परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। जब इस मामले में पंजीयन कार्यालय में बात की गई तो एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पैसे के लेनदेन को लेकर कहासुनी कार्यालय के भीतर हुई थी। जब विवाद बढ़ने लगा तो हमने उन्हें कार्यालय से बाहर निकालने के लिए कहा।

इसके बाद विवाद और बढ़ गया। विवाद कर रहे शख्स का कहना था कि वह इतने कम पैसों में रजिस्ट्री नहीं होने देगा, वह बार-बार आपत्ति जता रहा था।

## उमरिया के बेटे ने रचा इतिहास, एनडीए में चयन के बाद बनेंगे एयरफोर्स अफसर

**उमरिया, देशबन्धु।** उमरिया जिले के मानपुर निवासी अभिनव पाण्डेय ने पहले ही प्रयास में एनडीए परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया है। पुलिस परिवार से जुड़े अभिनव को पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण मिलेगा। उनकी इस उपलब्धि पर जिले में खुशी और गर्व का माहौल है।

उमरिया जिले के मानपुर निवासी अभिनव पाण्डेय ने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी इस सफलता से जिले भर में उत्साह और गर्व का माहौल है। अभिनव के पिता रामराज पाण्डेय, शहडोल के कोतवाली थाने में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं, जबकि माता स्मिता पाण्डेय सीएम राइज स्कूल में हिंदी व्याख्याता हैं। अभिनव की प्रारंभिक शिक्षा पाली के सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई और इसके बाद उन्होंने कोटा, राजस्थान के अकलंक पब्लिक स्कूल से

12वीं की पढ़ाई पूरी की। 1 सितंबर 2023 को आयोजित एनडीए परीक्षा में सफल होकर अभिनव ने वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच में अपना स्थान सुरक्षित किया। अब वे पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीन वर्ष का सघन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसके बाद हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग लेकर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में राष्ट्र सेवा करेंगे।

**परिवार से जुड़ी देशभक्ति की परंपरा**-अभिनव का परिवार देश सेवा से जुड़ा रहा है। उनके दादा छत्रपाल पाण्डेय भी पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि पहली बार किसी सदस्य ने वायुसेना में सीधा अधिकारी बनकर इतिहास रचा है।

**सम्मान और शुभकामनाएं**-अभिनव की इस उपलब्धि पर शहडोल पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने उन्हें कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उनके चाचा डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, चाची डॉ. पूजा पाण्डेय, बहन जया पाण्डेय और छोटे भाई शौर्यमन पाण्डेय सहित परिवार के सभी सदस्यों व क्षेत्रवासियों ने अभिनव को बधाइयां दी हैं। अभिनव की यह सफलता जिले के अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है, जो यह सिद्ध करती है कि अनुशासन, लगन और निरंतर परिश्रम से हर सपना साकार किया जा सकता है।

### सार-समाचार

## उमरिया में सुरक्षा उपकरणों के बिना हो रही खुदाई

### सुपरवाइजर बोले, चोरी हो जाते हैं सुरक्षा उपकरण

**उमरिया, देशबन्धु।** जिले के नेशनल हाईवे-43 पर मरम्मत काम के दौरान बरती जा रही लापरवाही से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवदेवरा के पास सड़क पर रखे मलबे के कारण एक युवक की मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए। हालांकि इसके बाद भी वी मेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की किए जा रहे मरम्मत काम में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। नियमों के मुताबिक, निर्माण स्थल पर सुरक्षा बोर्ड, रेडियम चिप्स वाले ड्रम और साइड कोन लगाना अनिवार्य है। इससे वाहन चालकों को दूर से ही निर्माण काम की जानकारी मिल जाती है। सुपरवाइजर बोले-सुरक्षा उपकरण रखने पर वे चोरी हो जाते हैं। कंपनी के सुपरवाइजर मोहित भारद्वाज का कहना है कि सुरक्षा उपकरण रखने पर वे चोरी हो जाते हैं। उन्होंने दुर्घटनाओं की जानकारी मिलने की पुष्टि की है। साथ ही आश्वासन दिया है कि सड़क से मलबा हटाया जाएगा और सुरक्षा उपकरणों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पिछले दो दिनों में हुई दुर्घटनाओं के बाद भी कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सड़क पर बिना किसी चेतावनी के रखा मलबा और खुदाई दुपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है।

## किराना व्यापारी की हत्या करने वाला आरोपी फरार, परिवार ने छोड़ा गांव

**शहडोल, देशबन्धु।** शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमिलिहा में 4 जून की दरम्यानी रात हुई शिवदयाल शुक्ला की नृशंस हत्या ने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों का पता लगाने में नाकाम रही है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं।

दरअसल, उमरिया जिले के थाना पाली चौकी घुनघुटी के अंतर्गत आने वाले अमिलिहा गांव निवासी शिवदयाल शुक्ला की हत्या 25 दिन पहले उनके घर में अज्ञात बदमाशों ने कर दी थी। शिवदयाल का घर हाईवे के किनारे स्थित था और वह एक किराना व्यापारी थे। अज्ञात आरोपियों ने पहले लूटपाट की और फिर उनकी हत्या कर फरार हो गए। घटना के समय घर में शिवदयाल की वृद्ध मां मौजूद थीं, जो सुन और बोल नहीं सकतीं। अगले दिन जब आस-पड़ोस के लोग दुकान पहुंचे तो वह बंद थी। दरवाजा खोलकर देखा गया तो शिवदयाल का शव खून से लथपथ हालत में घर के अंदर पड़ा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन, आरोपियों के पकड़े नहीं जाने से लोगों में भारी रोष है।

मृतक के परिजन खुद को बचाने के लिए अपना घर छोड़कर शहडोल में किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच, बुधवार को इस मामले को लेकर शहडोल आईजी कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा। मृतक के रिश्तेदार प्रत्यूष गौतम ने कहा, हमें यह नहीं समझ आता कि पुलिस इतनी देर क्यों कर रही है। क्या हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं है? जैसे-जैसे समय बीत रहा है, गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस भयावह घटना से प्रभावित लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पुलिस शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार करे। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

## वी मित्र एप का दिया प्रशिक्षण

**पन्ना, देशबन्धु।** म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पन्ना के नवागत अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार गेदाम के निर्देशन में विद्युत विभाग के संभागीय कार्यालय पन्ना में वी मित्र एप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यपालन अभियंता अमितेश कुमार मिश्रा एवं प्रोग्रामर दिनेश अहिरवार द्वारा उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं एवं विभागीय कर्मचारियों को एप इंस्टालेशन एवं उपयोग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में संभाग अंतर्गत 7 वितरण केन्द्र से चयनित लगभग 70 उपभोक्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण में वी मित्र एप के जरिए उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी एवं अन्य 11 प्रकार की अनियमितताओं की जानकारी विभाग को प्रदान करने पर एवं जानकारी सही पाए जाने की स्थिति में 10 रूपए से 50 हजार रूपए राशि तक के ईनाम के बारे में अवगत कराया गया।

## उमरिया में कांग्रेस की पटवारी पर एफआईआर हटाने की मांग

### बोली- भाजपा शासन में आदिवासियों पर अत्याचार, नेताओं पर झूठे मुकदमे

**उमरिया, देशबन्धु।** उमरिया में जिला कांग्रेस कमेटी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया को पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुंगावली में दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई।

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने खातेगांव, बुरहानपुर, सिंगरौली, मंडला और डिंडौरी में आदिवासियों की हत्या और उन्हें वनभूमि से बेदखल करने की घटनाओं का जिक्र किया।

अशोकनगर जिले में सरपंच पति और पुत्र द्वारा लोधी परिवार से बाइक छीनने और मारपीट की घटना का भी उल्लेख किया गया। अजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मुंगावली पुलिस ने सत्तापक्ष को खुश करने के लिए जीतू पटवारी पर फर्जी एफआईआर दर्ज की है। डीजीपी से इस एफआईआर को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है।

## बारिश के मौसम में स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

**उमरिया, देशबन्धु।** उमरिया जिले में लगातार बारिश के कारण स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही.एस. चंदेल ने बताया कि बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

### उबला पानी पिएं, घर का खाना खाएं, मच्छरदानी लगाएं

इस मौसम में पेट दर्द, उल्टी और बुखार के मामले अधिक होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए उबला हुआ या आरओ का पानी पीएं। बाहर का खाना न खाएं। मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। सिर्फ घर का ताजा बना भोजन खाएं।

क्षेत्र में अभी तक इतनी बारिश हुई-जिले में पिछले 24 घंटों में 2.1 मिमी वर्षा हुई है। अन्य क्षेत्रों में वर्षा का विवरण है - बांधवगढ़ में 5.8 मिमी, मानपुर में 2.8 मिमी, पाली में 3.2 मिमी और करकेली में 2.7 मिमी। 1 जून से अब तक कुल 181.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 73.1 मिमी वर्षा हुई थी। इस वर्ष बिलासपुर में सर्वाधिक 306.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

## लायंस क्लब के सदस्यों ने चिकित्सकों का किया सम्मान, बताया धरती के 'भगवान'

**अनूपपुर, देशबन्धु।** राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर 2 जुलाई को लायंस क्लब अनूपपुर टाउन के सदस्यों ने जिला अस्पताल के उत्कृष्ट सेवा प्रदाय करने वाले चिकित्सकों को श्रीफल और शॉल देकर सम्मान किया। वहीं सीए दिवस होने के कारण अनूपपुर मुख्यालय में सीए के रूप में सेवा दे रहे गणमान्यों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर दिवस पर नगर वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.गणेश चटर्जी के असामायिक निधन पर क्लब द्वारा श्रद्धांजली दी गई।

डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में लायंस क्लब के सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर भगवान का धरती पर दूसरा रूप है। जो विषम परिस्थितियों में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए उनके जीवनदान दिलाने में अपना विशेष योगदान निभाता है। अगर धरती पर वैद्य व चिकित्सक न होते तो रोगियों का इलाज संभव नहीं होता और मानव जीवन संकट में पड़ जाती। संसार और अधिक दुखों से भर जाएगा। इस मौके पर सदस्यों ने जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एससी राय, डॉ. आरपीएस द्विवेदी, डॉ. साकेत कौशिक, डॉ जनक सारीवान, डॉ. उषाकिरण कौशिक, डॉ औजेर, डॉ. असीम मुखर्जी को सम्मानित किया।

चार्टर अकॉउंट सेवा दिवस पर नगर के प्रथम जबकि सीए में अरूण बियानी के साथ भौमिक राठौर एवं सोनम को भी सम्मानित किया गया। सम्मान के दौरान लायंस क्लब की ओर से अध्यक्ष डॉ कौशलेन्द्र सिंह, अन्नपूर्णा शर्मा, दुर्गेन्द्र सिंह भदौरिया,पीएस राउत राय, अशोक शर्मा, दीपक सोनी, राजेन्द्र बियानी, लक्ष्मी खेडिया,निरुपमा पटेल, सरला भदौरिया, सरोज बियानी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

## स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम पंजीयन कराना जरूरी : कलेक्टर

**पन्ना, देशबन्धु।** कलेक्टर सुरेश कुमार ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सहित शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य तथा अनुसूचित जाति-जनजाति उत्कृष्ट, सीनियर व जूनियर छात्रावास अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में कहा गया है कि जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से महाविद्यालय में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी, जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता है एवं वार्षिक आय सीमा दो लाख 50 हजार रूपए से कम है।

उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेने के उपरांत भविष्य में भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए पृथक से पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।

**दो चरणों में संपन्न होगी ओटीआर प्रक्रिया**-कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करने की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी।

प्रथम चरण में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाईल पर एनएसपी ओटीआर मोबाइल एप डाउनलोड कर एवं वांछित जानकारी भरकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा। द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार सर्विसेस एप डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। एमपी टॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के दौरान ओटीआर नंबर दिया जाना अनिवार्य है।

जिला कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यवाही एक माह की समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय एवं महाविद्यालय प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक की पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर ओटीआर प्रक्रिया की जानकारी से अवगत कराने के लिए कहा गया है।

## अटल पेंशन योजना व बीमा योजनाओं की जानकारी

**बालाघाट, देशबन्धु।** असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने तथा अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाने के लिए कलेक्टर श्री मृणाल मीणा के निर्देश पर जिले में पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

02 जुलाई को बालाघाट विकासखंड के ग्राम कुम्हारी में आयोजित शिविर में अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री संजीव कुमार ने पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें इन तीनों योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए है।

एक निश्चित राशि जमा करने पर इस योजना में पंजीकृत व्यक्ति को 60 साल के बाद एक निश्चित राशि की पेंशन मिलने लगेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मात्र 436 रुपये में एक वर्ष के लिए 02 लाख रुपये का बीमा किया जाता है। इस योजना में 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 20 रुपये में एक वर्ष के लिए 02 लाख रुपये का बीमा किया जाता है।

## वर्षाकाल में झरने व जल प्रपात के समीप जाने एवं सेल्फी पर प्रतिबंध

**पन्ना, देशबन्धु।** कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सुरेश कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 का आदेश जारी कर बरसात के मौसम में पन्ना जिले के विभिन्न स्थानों पर झरना एवं जल प्रपात पर अत्यधिक समीप जाने एवं सेल्फी व फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिले के पन्ना तहसील के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना बायपास मार्ग पर स्थित किलकिला कुंड, कौवा सेहा, रानीपुरा सेहा, लखनपुर सेहा एवं कैमासन फाल चौकी मझगवां, मड़ला थाना अंतर्गत केन नदी पुल एवं पाण्डव फाल और बृजपुर थाना अंतर्गत बृहस्पति कुंड स्थल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी तरह अमानगंज तहसील के थाना अमानगंज क्षेत्र के पण्डवन एवं पवई तहसील के थाना पवई क्षेत्र अंतर्गत चांदा फाल (सिल्वर फाल) स्थल पर आगामी 2 माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लघंन पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए एकत्रित होते हैं। इससे अत्यधिक समीप जाने और सेल्फी लेने के प्रयास में गहरे पानी में गिरने का खतरा बना रहता है।

जिला मजिस्टेªट द्वारा आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से तथा मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

## अनधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में प्रस्तुत करें आपत्ति

**पन्ना, देशबन्धु।** कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में आगामी 24 जुलाई तक आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के तहत अवगत कराया गया है कि अजयगढ़ निवासी अनावेदकगण धीरेन्द्र कुमार पिता नरेन्द्र सिंह राठौर एवं शिवकुमार पिता संतोष गुप्ता द्वारा अजयगढ़ तहसील के ग्राम माधौगंज स्थित सर्वे नंबर 83/1/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकवा 0.44 हे. भूमि पर कॉलोनी निर्माण का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कॉलोनी विकास की अनुज्ञा, नगर तथा ग्राम निवेश से लेआउट स्वीकृति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय करना पाया गया। इसके लिए रेरा में पंजीयन भी नहीं कराया गया था एवं न ही किसी भी प्रकार का आंतरिक विकास किया गया।

इस कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में की जा रही कार्यवाही के दृष्टिगत माधौगंज ग्राम की आम जनता व जनसामान्य द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वयं उपस्थित होकर अथवा अधिमान्य अधिवक्ता के माध्यम से कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

जनकपुर में भी निर्धाणाधीन थी अनधिकृत कॉलोनी जिला कलेक्टर द्वारा पन्ना तहसील के ग्राम जनकपुर स्थित सर्वे नंबर 59/1/1/1/1 रकवा 1.212 हे. भूमि पर पन्ना निवासी अनावेदकगण सुमन पति गौरीशंकर एवं रामरती पति रामसेवक गुप्ता तथा सर्वे नंबर 62/1/2 रकवा 0.270 हे. और सर्वे नंबर 62/1/2/2/1/1/1/1 रकवा 0.17 हे. भूमि पर पन्ना निवासी अनावेदकगण आशीष पिता राजकिशोर, रोशनी पति आशीष, मालती पति रामाधार, रामाधार पिता राजकिशोर, ध्रुव, स्नेहा एवं दिव्यांशी पिता रामाधार अग्रवाल और संदीप देवलिया द्वारा भी बगैर अनुज्ञा के कॉलोनी निर्माण पाया गया। इस संबंध में 17 जुलाई तक कलेक्टर न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देशित किया गया है।